



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 13 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 1794/IV(3)/2026-01(40)/2012

देहरादून, 13 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प० आ०-58

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड 'घ' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला देहरादून की नगर पंचायत, सेलाकुई में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र० सं०	नाम/पता	नगर पंचायत का नाम
1.	श्री हरीश बेंजवाल पुत्र स्व० श्री एस०एन० बेंजवाल, सेलाकुई, देहरादून। 7906439304	नगर पंचायत, सेलाकुई
2.	श्री राजेश प्रधान पुत्र स्व० श्री पी०एस० प्रधान, हरबर्टपुर, देहरादून। 9997395826	नगर पंचायत, सेलाकुई
3.	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री सतीश कुमार, हरबर्टपुर, देहरादून। 9897865013	नगर पंचायत, सेलाकुई

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 33/आ०श०वि०/272-2026-100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।